**पटना में दिनांक–19 मार्च, 2025 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।**

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

| | | |
|---|---|---|
| | **खेल विभाग** | |
| 1. | एशिया रग्बी (अंडर–20) चैम्पियनशिप (महिला एवं पुरूष)–2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹4,08,63,798/–(चार करोड़ आठ लाख तिरसठ हजार सात सौ अंठानवे रूपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 1. **स्वीकृत।** |
| | **खेल विभाग** | |
| 2. | पुरूष हॉकी एशिया कप–2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं बिहार सरकार द्वारा हॉकी इंडिया को प्रायोजन हेतु ₹12,00,00,000/–(बारह करोड़ रूपये) मात्र राशि प्रदान करने एवं समझौता ज्ञापन करने हेतु प्राधिकृत करने तथा अन्य व्यय होने वाले राशि के साथ कुल समेकित राशि ₹24,21,72,849/–(चौबीस करोड़ इक्कीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ उनचास रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 2. **स्वीकृत।** |
| | **सामान्य प्रशासन विभाग** | |
| 3. | बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम–74(बी)(ii) के तहत चार (04) न्यायिक पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत करने के संबंध में। | 3. **स्वीकृत।** |
| | **सामान्य प्रशासन विभाग** | |
| 4. | बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति। | 4. **स्वीकृत।** |
| | **जल संसाधन विभाग** | |
| 5. | जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन मुख्य अभियंता के परिक्षेत्रान्तर्गत अंचल एवं प्रमंडल कार्यालयों में आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत आशुटंकक (वेतन स्तर–4) के 257 पदों को आशुटंकक ग्रेड–III (वेतन स्तर–4)–131 पद, आशुटंकक ग्रेड–II (वेतन स्तर–6)–77 एवं आशुटंकक ग्रेड–I (वेतन स्तर–7)–49 पदों के रूप में सम्परिवर्तन करने की स्वीकृति के संबंध में। | 5. **स्वीकृत।** |

## जल संसाधन विभाग

6. बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 को निरस्त करते हुए नये सिरे से गठित "बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

7. "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के अन्तर्गत "स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय" के तहत 92 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (Touring Veterinary Officer) के 92 पदों, कार्यालय परिचारी के 92 पदों तथा चौकीदार–सह–झाड़ूकश के 92 पदों अर्थात कुल 276 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रूपये 13,28,86,000/–(तेरह करोड़ अठाईस लाख छियासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

8. गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रूपये 3,95,20,928/–(रूपये तीन करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

9. मत्स्य अनुसंधान स्थापना अन्तर्गत सोनारू मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, फतुहा एवं बखरी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, सीतामढ़ी हेतु 02 सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), 04 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, 04 मत्स्य विकास पदाधिकारी, 02 निम्न वर्गीय लिपिक एवं 02 प्रयोगशाला सहायक अर्थात् कुल 14 नये नियमित पदों के सृजन तथा प्रस्तावित पदसृजन के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्यय रूपये 1,06,56,000/– (एक करोड़ छः लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार संजय गाँधी गव्य प्रावैद्यिकी संस्थान, पटना का नामकरण संजय गाँधी डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **10. स्वीकृत।**

## पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अंतर्गत "बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013" को संशोधित करने हेतु "बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली 2025" की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

## मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

12. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अधीन अंतर वेतन भुगतानार्थ स्थायी लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000–6000) के 02 (दो) छायापद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

## विधि विभाग

13. पश्चिम चम्पारण, बेतिया न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज में 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रू०–37,99,92,000/–(सैंतीस करोड़ निन्यानवे लाख बेरानवें हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **13. स्वीकृत।**

## विधि विभाग

14. सारण (छपरा) न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर में 10 कोर्ट भवन (G+5), हाजत भवन (G+1) एवं एमिनिटी भवन (G+4) के निर्माण कार्य हेतु रू०–37,82,18,000/–(सैंतीस करोड़ बेरासी लाख अठारह हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **14. स्वीकृत।**

## वाणिज्य–कर विभाग

15. माल और सेवा कर प्रणाली की आवश्यकताओं के आलोक में वाणिज्य–कर विभाग की संरचना के पुनर्गठन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप 460 अतिरिक्त पदों के सृजन, नये पदों के सृजन के उपरान्त वाणिज्य–कर विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के पदों का कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या एस०ओ० 43, दिनांक–02.07.2007 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधन हेतु अधिसूचना के निर्गमण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

## वित्त विभाग

16. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में गृह निर्माण अग्रिम के प्रावधानों में संशोधन के उपरांत निर्धारित सुरक्षात्मक शर्तों (Safeguards) के अधीन निजी व्यक्ति से बने–बनाये मकान/फ्लैट का क्रय किये जाने की स्थिति में भी गृह निर्माण अग्रिम के रूप में अधिकतम 25.00 लाख रू० एवं गृह वृहद्दीकरण अग्रिम के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रू० 8.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

## वित्त विभाग

17. वित्त विभाग के अधीन तीन निदेशालयों यथा, कोषागार एवं लेखा निदेशालय, पेंशन निदेशालय तथा वैयक्तिक दावा एवं वेतन निर्धारण निदेशालय के गठन तथा स्थानिक आयुक्त के अधीन वित्तीय संसाधन समन्वय इकाई को क्रियाशील किये जाने हेतु कुल 130 (एक सौ तीस) पदों के सृजन के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

## वित्त विभाग

18. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2025–26 (एक वर्ष) के लिए विस्तारित करने के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

## वित्त विभाग

19. संचालन शुल्क (Centage) के निर्धारण के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

## शिक्षा विभाग

20. पूर्व में (वित्तीय वर्ष 2021–22 तक) केन्द्र प्रायोजित स्कीम अंतर्गत संचालित SPQEM (Scheme for Providing Quality Education in Madarsas) की अवधि समाप्ति के पश्चात इस योजना के अन्तर्गत राज्य की अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को निर्धारित मानदेय का भुगतान शतप्रतिशत राज्य योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान मद से करने की स्वीकृति प्रदान करने एवं तदालोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजटीय उपबंध से निर्धारित मानदेय एवं बकाया मानदेय भुगतान हेतु कुल 6,55,00,000/–(छः करोड़ पचपन लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

**सहकारिता विभाग**

21. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के तहत गठित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाये जाने हेतु अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

**सहकारिता विभाग**

22. सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान स्वीकृत 10 (दस) पदों के अतिरिक्त 08 (आठ) पदों के सृजन के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

**सहकारिता विभाग**

23. सहकारिता विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय परिचारी संवर्ग के वर्तमान स्वीकृत बल को नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में पुनर्निर्धारित किए जाने के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

**जल संसाधन विभाग**

24. श्री संजय कुमार ओझा (आई०डी० संख्या–3642), मुख्य अभियन्ता (संविदा नियोजित), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना की दिनांक 31.01.2025 को संविदा समाप्ति के क्रम में श्री ओझा की संविदा अवधि अगले एक वर्ष यथा दिनांक 31.01.2026 तक विस्तारित करते हुए जल संसाधन विभागान्तर्गत मुख्य अभियन्ता (असै०) के पद के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर नियोजित कर मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पद का प्रभार प्रदान किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

25. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त स्वरोजगार ऋण योजना एवं शिक्षा ऋण योजना अंतर्गत वितरित ऋण की राशि Recovery नहीं होने के कारण ऋण दायित्वों के समाधान हेतु राज्य की निधि से मूलधन की राशि रूपये 10.45 करोड़ (रू० दस करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC), नई दिल्ली को वापस किये जाने की स्वीकृति। **25. स्वीकृत।**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

26. बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 को निरसित करने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से राज्य में प्रवृत्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

27. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत भागलपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रूपये 65,79,80,000/–(पैंसठ करोड़ उनासी लाख अस्सी हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

28. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत जहानाबाद सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 3,28,94,57,000/–(तीन सौ अट्ठाईस करोड़ चौरानबे लाख सत्तावन हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

29. बिहार राज्य में "दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की राशि एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत अनुपातिक राज्यांश की राशि के व्यय की स्वीकृति। **29. स्वीकृत।**

**गृह विभाग**

30. State Highway Patrol Police Scheme के लिए परिवहन विभाग द्वारा अनुशंसित 114 इन्टरसेप्टर वाहन (पूर्व में 56 वाहनों के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति एवं प्रस्तावित 58 वाहनों के क्रय की स्वीकृति) उपस्कर सहित प्रति वाहन ₹35,00,000 (पैंतीस लाख रू०) मात्र की दर से क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

**गृह विभाग**

(विशेष शाखा)

31. बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित) को अधिक्रांत करते हुए बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2025 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। **31. स्वीकृत।**

## शिक्षा विभाग

32. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज एवं उन्हें खेल के विभिन्न विधाओं में नये अवसर प्रदान करने हेतु प्रतियोगिता के माध्यम से चयन के लिए 'मशाल– 2025' का आयोजन एवं इस हेतु 40,00,00,000/– (चालीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **32. स्वीकृत।**

## उद्योग विभाग

33. नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पटना का ऑडिटोरियम भवन सहित पूर्व प्राक्कलित रू० 58.65 करोड़ (अठावन करोड़ पैसठ लाख रू०) मात्र को रू० 31.96 करोड़ बढ़ाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 90,60,91,640.00 (रूपये नब्बे करोड़ साठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ चालीस) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रू० 01.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) तथा अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में शेष राशि रू० 30.96 करोड़ (रूपये तीस करोड़ छियानवे लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **33. स्वीकृत।**

## गन्ना उद्योग विभाग

34. "गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत पूर्व से सृजित सहायक ईख परियोजना पदाधिकारी (वेतन स्तर–7) के 22 पदों में से 03 पदों को सहायक ईखायुक्त (वेतन स्तर–11) के रूप में एवं 19 पदों को ईख पदाधिकारी (वेतन स्तर–9) के रूप में सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में। **34. स्वीकृत।**

## मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

35. बिहार राज्य में नीरा का उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने एवं खमीर युक्त ताड़ के रस का उत्पादन एवं उपभोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना" एवं उस पर होने वाले वार्षिक व्यय की स्वीकृति। **35. स्वीकृत।**

## पर्यटन विभाग

36. बिहार पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किये जाने के संबंध में। **36. स्वीकृत।**

## नगर विकास एवं आवास विभाग

37. किफायती आवास एवं मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में संशोधन के संबंध में। **37. स्वीकृत।**

## योजना एवं विकास विभाग

38. बिहार मौसम सेवा केन्द्र में मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (Multi Hazard Early Warning System) के सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु हाई परफोर्मेंस कम्प्यूटेशन फैसिलिटी (High Performance Computation Facility) का निर्माण (5 वर्षों के अनुरक्षण सहित) करने हेतु ₹35.35 करोड़ मात्र (तकनीकी समीक्षा शुल्क सहित) पर कार्य कराने एवं ₹35.35 करोड़ (पैंतीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

38. **स्वीकृत।**

## शिक्षा विभाग

39. वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि कुल रू० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख रू०) मात्र में से शेष राशि रू० 42,26,08,900/–(बयालीस करोड़ छब्बीस लाख आठ हजार नौ सौ रू०) मात्र में से रू० 37,71,91,500/–(सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख एकानवे हजार पाँच सौ रू०) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

39. **स्वीकृत।**